

धारा 141 : जॉब कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध

- (1) जहां कारबार के स्थान पर प्राप्त किन्हीं इनपुटों को, उस रूप में या जॉब कर्मकार द्वारा उनके संबंध में आंशिक रूप से प्रसंस्करण किए जाने के पश्चात्, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार आगे और प्रसंस्करण, परीक्षण, मरम्मत, पुनर्नकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हटाया जाता है और ऐसे इनपुटों को नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान पर वापस लौटाया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसे इनपुटों को जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है :

परन्तु छह मास की अवधि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा इनपुट इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूली किए जाने का दायी होगा।

- (2) जहां कोई अर्ध-निर्मित माल नियत दिन से पूर्व कारबार के किसी स्थान से विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किए जाने के लिए हटाया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान पर वापस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूली किए जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि विनिर्माता, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार, उक्त मालों को, भारत में कर के संदाय पर या निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना, इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि में भीतर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में, वहां से उनकी पूर्ति के प्रयोजन के लिए स्थानांतरित कर सकेगा।

- (3) जहां कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद-शुल्क्य या माल किसी अन्य प्रसंस्करण अथवा बाहर कोई परीक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के संदाय के बिना किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था, विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत दिन और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त स्थान पर अथवा नियत दिन के पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को, दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूली किए जाने के लिए दायी होगा : **परन्तु यह भी** कि

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

विनिर्माता, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात हेतु कर के बिना संदाय अथवा भारत में कर के संदाय पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसर पर उक्त माल को स्थानांतरित करता है।

- (4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि केवल विनिर्माता और जॉब कर्मकार यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख पर विनिर्माता की ओर से जॉब कर्मकार द्वारा स्टॉक में धारित माल अथवा इनपुट के ब्योरे की घोषणा करेगा।

उपयुक्त नियम: नियम 119, 120क

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी टीआरएएन-1